रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1989/आषाढ़ 7, 1911
No. 382] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 1989/ASADHA 7, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1989

का० आ० 490 (अ):— केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 6 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 79 (अ) तारीख 3 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"44.	सैटेलाइट संसूचना उपस्कर	भू सैटेलाइट पृथ्वी स्टेशन टर्मिनल और उसके भाग	
45.	स्वेश माल	(1) घरेलू प्रशीतित्र	
		(2) अति हिमीयकरणीय	
		(3) धुलाई की मशीन (कार्यक्रमीय टाइप)	
		(4) पात्र धावित्र	
		(5) निर्वात मार्जक	

टिप्पण : (1) जहां तक केवल घरेलू प्रशीतित्र का संबंध है पांच लाख संख्याओं का न्यूनतम आर्थिक आकार (एम ई एस) बना रहेगा जैसा वह इस समय विद्यमान है। विस्तृत बैंड वाले समूहक एक साथ ली गई सभी अन्य चार मदों के लिए दो लाख संख्याओं का मिश्रित न्यूनतम आर्थिक आकार होगा।

(2) "(औद्योगिक से भिन्न) वातानुकूलन और प्रशीतन" के लिए एक विद्यमान विस्तृत बैंड स्कीम है जिसके अन्तर्गत घरेलू प्रशीतित्र, घरेलू वातानुकूलन, कार वातानुकूलन, हल्के वाणिज्यिक यानों के लिए वातानुकूलक, जलीय शीतल यंत्र, पेय शीतल यंत्र और अति हिमीयकरणीय आते हैं। यह स्कीम और "श्वेत माल" के लिए इस अधिसूचना के अधीन आख्यापित की गई विस्तृत बैंड स्कीम परस्पर अनन्य हैं: दूसरे शब्दों में किसी कम्पनी को दो समूहों में से एक के अधीन विस्तृत बैंड का चयन करना होगा, दो को मिश्रित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कम्पनी विस्तृत बैंड समूह के बाहर किसी अतिरिक्त मद का, जिसका उसने चयन किया है, विनिर्माण करने में हितबद्ध है, तो कम्पनी को सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक वाणिज्यिक व्यापार अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदन भेजना चाहिए।"

[फा० सं० 5/25/89—एम० आई०]

एल० सी० गोयल, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० का० आ० 79 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (iii) में 3-3-1986 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसका निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया:—

(1) का० आ० 918(अ) तारीख 16-12-1986

(2) का० आ० 299(अ) तारीख 2-4-1987

(3) का० आ० 1005(अ) तारीख 1-11-1988

(4) का० आ० 1203(अ) तारीख 27-12-88

(5) का० आ० 139 (अ) तारीख 20-2-1989

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1989

S.O. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 6 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, the Central Government hereby makes the following amendments to the Notification of Government of India in the Ministry of Industry, Department of Company Affairs, No. S.O. 79(E) dated 3rd March, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial number 43 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely :—

"44. Satellite communications equipments.

Ground satellite earth station terminals and parts thereof

45. White goods.

(i) Domestic refrigerators.

(ii) Deep freezers

(iii) Washing machines (Programmable type)

(iv) Dish washers.

(v) Vaccum cleaners.

Note : (1) So far as domestic refrigerator alone is concerned the minimum economic size (MES) or 5 lakh numbers will continue as it exists now. For all the other four items of the broad banded group taken together, there will be a combined minimum economic size (MES) of 2 lakh numbers.

(2) There is an existing broad-banding scheme for "Air conditioning and Refrigeration (other than industrial)" which covers domestic refrigerators, domestic air-conditioners, car air conditioners, air-conditions for light commercial vehicles, water coolers, beverage collers and deep freezers. This scheme and the broad-banding scheme announced under this notification for "White goods" are mutually exclusive : in other words, a company will have to choose broad-banding under one of the two groups and the two cannot be combined. In case a company is interested in taking up the manufacture of any extra outside the broad-banded group that it has chosen, the company should submit a regular application

under Section 22 of the MRTP Act, 1964 for seeking prior approval of the Central Government."

[F. No. 5|25|89-M.I.]

L. C. GOYAL, Dy. Secy.

Note.—The principal notification No. S.O. 79(E) was published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary on 3-3-1986, as subsequently amended by notification nos. :—

(i) S.O. 918(E) dated 16-12-1986.
(ii) S.O. 299(E) dated 2-4-1987.
(iii) S.O. 1005(E) dated 1-11-1988.
(iv) S.O. 1203(E) dated 27-12-1988.
(v) S.O. 139(E) dated 20-2-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989